न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर (म0प्र0)

ओमप्रकाश अग्रावाल तनय श्री मुकुटबिहारी अग्रवाला निबासी 110 परिवारन थाना कोतवाली जनपद झॉसी (उ0प्र0)

.... निगरानीकर्ता

बनाम

1. लक्ष्मी नारायण तनय जमनाप्रसाद कोरी निबासी 306 ईसाई टोला प्रेमनगर झॉसी (उ0प्र0)

2. म0प्र0 शासन

3. .... प्रतिनिगरानीकर्तागण

प्रस्तुत निगरानी धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959

महोदय,

प्रस्तुत निगरानी भूमि खसरा नंबर 679/4 व 678, 697 स्थित मौजा जिजौरा ...ील ओरछा जिला टीकमगढ़ की पंजीकृत विलेख दिनांक 03.10.2012 से व्यथित होकर समक्ष ...न् के प्रस्तुत है!

यह कि भूमि स्थित ग्राम जिजौरा तहसील ओरछा जिला टीकमगढ़ के खसरा क्र. 679/4, 678, 697/3 में रकवा प्रतिनिगराकार द्वारा मौके पर ले जाकर साक्षियों के समक्ष दिखाई एवं हरिमोहन मुदगल एडवाकेट एवं महमूद चौहान के समक्ष मूल परिचय पत्र लेकर ऋण पुस्तिका क्रमांक 882152 लेकर उपपंजीयक कार्यालय टीकमगढ़ के समक्ष उक्त भूमि विक्रय करने का अनुबंध किया गया एवं स्वयं को भू–स्वामी बताकर उक्त भूमि का विक्रय अनुबंध निगराकार से तय किया गया।

यह कि उक्त भूमि वास्तव में हरिमोहन राय पुत्र ज्वालाप्रसाद राय निगराकार के साथ गंभीर धोखाधडी कर प्रतिनिगराकार क्रमांक 1 से सांठगांठ कर करीब 10 लाख रूपये में सौदा तय कर 1 लाख रूपये के पंजीकृत शुल्क स्टाम्प निगराकार द्वारा ले लिये गये तदोपरांत प्रतिनिगराकार ने निगराकार के पक्ष में उक्त भूमि का विक्रय विलेख निष्पादित कर दिया जिसमें निगराकार को भारी क्षति का सामना करना पड रहा है। ऐसी स्थिति में निगराकार दोनो तरफ से षडयंत्र का शिकार हो रहा है।

3. यह कि भारतीय सम्पत्ति अंतरण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निर्वाचन के सिद्धांत एवं दृश्यमान स्वामी के प्रावधानों के अनुसार प्रतिनिगराकार क्र. 1 एवं वास्तविक स्वामी के

R. 712-II/13 शिकमाबाद

29/3/16	आवेदक एवं आवेदक अधि० जब से यह प्रकरण दायर किया गया है जब से आज तक लगभग 13 पेशियों से कोई उपस्थित नहीं हो रहा है। अतः आवेदक एवं आवेदक अधिवक्ता की अनुपस्थिति होने के कारण प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। सदस्य	

...मुवा-492-फॉर्म-29-9-2007-2,00,000 प्रपत्र.